न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 105/2014

दायर दिनांक–02–06–2014

1 न्योलसिंह उर्फ नवलसिंह पुत्र अखेसिंह उम्र 88 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2 पृथ्वीराज सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र 71 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1 खींवसिंह पुत्र अखेसिंह उम्र 84 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2 भंवर कंवर पत्नी फूलसिंह पुत्रवधु अखेसिंह जाति राजपूत निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
3 अजीतसिंह पुत्र फूलसिंह पौत्र अखेसिंह जाति राजपूत निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
4 प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
5 प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
6 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) जरिये राजस्थान सरकार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– **श्री नरेन्द्र सिंह जाखल**
वकील प्रति. नं. :– **श्री विद्याधर जाखड़**

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88, 53, 136 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 29.03.2022

राजस्व ग्राम बुगाला पटवारी हल्का बुगाला की सरहद मे भूमि नये खाता संख्या 215 खसरा नम्बर 876 रकबा 1.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 879 रकबा 5.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.70 हैक्टर, खाता संख्या 144 की भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 878 रकबा 4.47 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 6.47 हैक्टर, खाता संख्या 58 की भूमि खसरा नम्बर 868 रकबा 6.59 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 6.69 हैक्टर, खाता संख्या 385 की भूमि खसरा नम्बर 869 रकबा 6.50 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 6.50 हैक्टर स्थित है उक्त भूमियों के पुराने खसरा [illegible] 459 मी, 461 मी, 463, 460, 463 मी थे, इन्ही खसरा नम्बरान से नये नम्बर बने है। उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 है, जिसके संबंध में वाद पेश किया जा रहा है, सम्पूर्ण भूमि पैतृक है जिसको वाद में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के पहले खातेदार अन्ने सिंह जिनके दो पुत्र बच्चन सिंह व अखेसिंह हुये, जिनकी वंशावली निम्न प्रकार हैः –

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

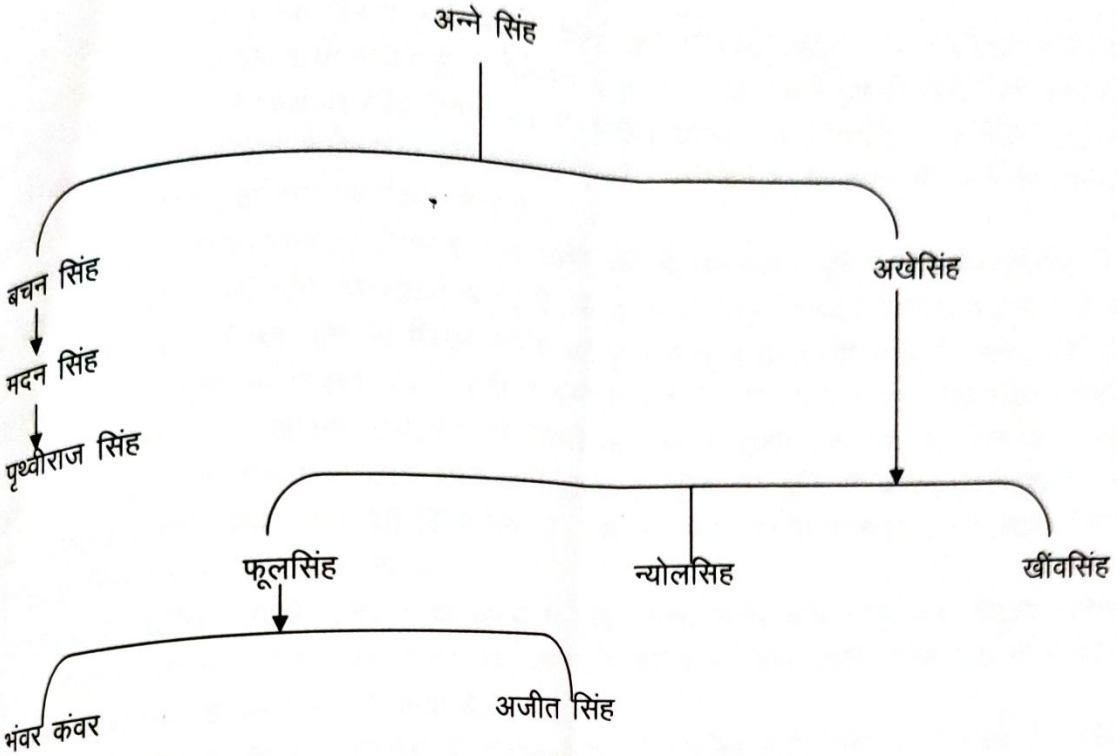

54

त वंशावली में अन्नेसिंह के बड़े पुत्र बच्चन सिंह के एक पुत्र मदन सिंह हुये व दूसरे पुत्र अखेसिंह के चार पुत्र सिंह, न्योलसिंह उर्फ नवलसिंह, खींवसिंह एवं श्रवण सिंह उर्फ पृथ्वीराज सिंह हुये। चूंकि मदनसिंह के कोई न्दा सन्तान नही थी, इसलिये उन्होने अपने जीवनकाल में ही अपने काका के सबसे छोटे पुत्र श्रवणसिंह उर्फ राज सिंह को गोद ले लिया व गोद लेने की सभी कार्यक्रम किये गये, जो तत्कालीन समय में समाज की रिवाज व प्रथाओं के अनुसार किये जाते थे, उसके बाद दत्तग्रहिता पिता मदनसिंह ने अपने दत्तक पुत्र को न से ही अपने पास रखना शुरू कर दिया, उन्होने ही स्कूल में दाखिला करवाया तथा जायन्दा पिता के ते नाम को न मानकर अपने जायन्दा पुत्र की तरह अलग से नाम पृथ्वीराज सिह दर्ा करवाया, जो वादी नम्बर का नाम आज तक है। इसलिये वादी नम्बर 2 का नाम पुराने राजस्व रिकार्ड में श्रवणसिंह व न्यायालय के श के बाद पृथ्वीराजसिह दर्ज है, जो सही है व आज भी अपने कब्जे काश्त की भूमि को लाट–बाट कर रहे है बाद है, लेकिन उक्त भूमियों का रिकार्ड कम ज्यादा दर्ज होने के कारण रिकार्ड दुरूस्ती का वाद पेश करना यक हुआ, जो श्रीमान् की सेवा में पेश हैं।

वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि पहले वादी नम्बर 1 प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता तथा वादिया नम्बर 2 के ससुर व प्रतिवादी नम्बर 3 के दादा अखेसिंह एवं वादी नम्बर 2 के दत्तक ग्रहित पिता सिंह के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी, चूंकि मदनसिंह के कोई जायन्दा संतान नहीं थी, इसलिये परिवार आपसी सहमति से ही अखेसिंह की जायन्दा चारो संतानो ने उक्त विवादग्रस्त भूमि को चार बराबर भागों में लिया व मौके पर कब्जा काश्त हो गये व खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज रही, मौखिक विभाजन के अनुसार ही भाई जमीन को लाटते बांटते थे व भूमि बराबर–बराबर कब्जा काश्त थी, जो आज तक चली आ रही है। संयुक्त खातेदारी सम्बत 2012 में जब राजस्थान [illegible] लागू हुआ तब से लेकर सम्बत 2032 तक दर्ज लेकिन सम्बत 2032 से लेकर सम्बत 2035 तक राजस्व भूमियों की [illegible] की कार्यवाही हुई व उसके बाद त 2043 में नया राजस्व रिकार्ड बना तथा सम्बत 2040 [illegible] नई जामाबन्दिया बना उसमें –पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों [illegible] मौके की कब्जा काश्त की लिये वगैर व बिना किसी विधिक दस्तावेजात के संयुक्त खाते का विभाजन कर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर था प्रतिवादी नम्बर 2 के पति व प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता के नाम अलग–अलग खाते बना कर उसके स्व रिकार्ड को गलत दर्ज करते हुये वादी नम्बर 1 के नाम 6.47 हैक्टर, वादी नम्बर 2 के नाम 6.50 हैक्टर, वादी नम्बर 1 के नाम 6.59 हैक्टर व प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम 7.70 हैक्टर अर्थात कम–ज्यादा भूमि दर्ज

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:16:02 IST
Reason: SelfAttested

र दी जबकि बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था, जिसका अधिकार राजस्व कर्मचारियों व धिकारियों को नही था, जो वादीगण के अधिकारो के खिलाफ व शून्य है, जो रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है, स्त भूमियों के कब्जा काश्त के संबंध में कोई विवाद नही है, लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा रिकार्ड गलत दर्ज कर रखा है, इसलिये वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 की हिस्से की भूमि का रिकार्ड रूस्त करवाने बाबत घोषणार्थ का वाद पेश किया गया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 से काफी वर्षो से विवादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवारा कर खा है व अपने कब्जे काश्त की भूमि को लाटते बांटते है, अलग–अलग सीमा बनाकर काबिज व आबाद है व ट्यूबवैल बना रखे है, लेकिन राजस्व भूमि का रिकार्ड गलत दर्ज रहने से भूमि का अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाता, इसलिये विवादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जाकर हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन किया जावे। वैसे आपसी सहूलियत से पिछले 60 वर्षो से आपसी बंटवारा कर रखा है, परन्तु खसरा नम्बरान के अनुसार व उपयोग में आने वाली आने जाने की रास्ते की भूमि को काटकर शेष रकबे का बराबर–बराबर इन्द्राज करवाने बाबत वाद पेश किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 निम्न प्रकार से विधिवित विभाजन करवाना चाहते है: –

अखेसिंह के वारिसान वादी नम्बर 1 के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 878 रकबा 4.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 877 का उत्तरी भाग का रकबा 1.78 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 879 रकबा खसरा नम्बर 878 के सहारे–सहारे 0.56 हैक्टर कुल 6.81 हैक्टर हिस्से में आया है।

अखेसिंह के जायन्दा पुत्र व मदनसिंह के दत्तक पुत्र पृथ्वीराजसिंह वादी नम्बर 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 869 रकबा 6.50 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 876 का पश्चिमी भाग रकबा 0.31 हैक्टर कुल 6.81 हैक्टर हिस्से में आया है।

प्रतिवादी नम्बर 1 खींवसिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 868 रकबा 6.59 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 877 का दक्षिणी भाग रकबा 0.22 हैक्टर कुल 6.81 हैक्टर हिस्से में आया है।

प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 के हिस्से में खसरा नम्बर 876 का पूर्वी भाग का 1.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 879 का पूर्वी भाग 4.96 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.32 हैक्टर सम्पूर्ण कुल 6.83 हैक्टर हिस्से में आया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 काबिज व आबाद रहे व अपनी–अपनी भूमि में ट्यूबवैल बना रखे है व सिंचाई करते है।

विवादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 की पैत्रिक सम्पति है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से के अनुसार काबिज व आबाज है, काफी वर्षो से भूमि को बांटकर कब्जा काश्त है, लेकिन अन्नेसिंह के वारिसान का पारिवारिक सहमति के अनुसार अखेसिंह के जायन्दा पुत्रो में बराबर–बराबर का बंटवारा होना चाहिये था, जो सही दर्ज न करे अखेसिंह के वारिसान में प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के पूर्वज फूलसिंह के हिस्से में ज्यादा भूमि 7.70 हैक्टर रकबा भूमि दर्ज कर दी, जबकि सभी वारिसानों के बराबर–बराबर की प्रत्येक के 6.81 हैक्टर दर्ज होने चाहिये थी, जो सही नहीं होने से वादीगण के अधिकारों के खिलाफ है, राजस्व कर्मचारियों को इस प्रकार का गलत रिकार्ड दर्ज का कोई हक नहीं है, विवादग्रस्त भूमि का गलत रिकार्ड दर्ज रहने से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कभी भी हिस्से व कब्जे काश्त को लेकर विवाद पैदा हो सकता है, जिससे वादीगण का अनावश्यक मुकदमे बाजी में फंसना पड़ सकता है, जिसकी वजह से [illegible] धन व समय की बर्बादी होगी, जिससे वादीगण को अपार क्षति होगी, जिसका [illegible] संभव नही है वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया [illegible] इसलिये वादीगण को उक्त दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण को उक्त वाद पेश करने के लिये वादाधिकार सैटलमेंट के बाद नया राजस्व रिकार्ड अस्तित्व में आने के राजे व माह फरवरी में राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाने पर वस्तुस्थित की जानकारी होने पर अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ तथा इस प्रकार का वाद खातेदार काश्तकार कभी भी पेश कर सकता है। विवादग्रस्त भूमि अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान्‌जी को उक्त वाद सुनने का पूरा–पूरा हक

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नदलगढ

56

[ख]। खातेदारान ने स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नवलगढ़ व राजस्थान ग्रामीण बैंक, जाखल से ऋण [ले] रखा है, इसलिये उक्त को प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 बनाया गया है, जिससे वाद में कोई त्रुटी नहीं रहे। प्रतिवादी [न]म्बर 1 अक्सर बीमार रहते है व न्यायालय तक आने में असमर्थ है, इसलिये उनको परफोरमा डिफेन्टेंट बनाया [ग]या है। वाद घोषणार्थ, दुरूस्त करवाने रिकार्ड व विभाजन का है, जो 8/– रूपये प्रर्याप्त कोर्ट फीस पर पेश है।

वादीगण द्वार वाद–पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद वादीगण खिलाफ [प्र]तिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 215 खसरा नम्बर [..]76 रकबा 1.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 879 रकबा 5.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 3 [कु]ल रकबा 7.70 हैक्टर मे से 0.87 हैक्टर भूमि कम करके 0.34 हैक्टर भूमि खाता संख्या 144 वादी नम्बर 1 की [भू]मि में, 0.31 हैक्टर भूमि खाता संख्या 385 वादी नम्बर 2 की भूमि में तथा 0.22 हैक्टर भूमि खाता संख्या 31 [प्र]तिवादी नम्बर 1 की भूमि में जोड़कर रकबे की हिस्सेदारियों को बराबर करते हुये वाद–पत्र की धारा 4 की उप [धा]रा क,ख,ग,ध, के अनुसार खाते बनाये जावे।

विवादग्रसत भूमियों में जाने के बाबत रिकार्ड में दर्ज 0.06 हैक्टर भूमि रास्ते की भूमि को नया रास्ता [श]मलाती सभी खातेदारान के हिस्सेदारी के अनुपात में काटकर दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार, नवलगढ़ [को] आदेशित कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर रिपोर्ट मंगवाई जावे, इसलिये प्रतिवादी नम्बर 6 को पक्षकार [ब]नाया गया है।

प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादीगण की कब्जे काश्त में [कि]सी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न अपने आदमियों से करवावे।

वाद–पत्र की धारा 4 की उपधारा क,ख,ग,ध, में वर्णित हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत रूप से [खा]ता विभाजन किया जाकर अलग–अलग खाते दर्ज किये जावे व अलग–अलग लगान कायम किया जाकर [पा]स–बुक जारी की जावे। अन्य सिद्धि जो वादी के हक में पडती हो, भूल से चाही जाने से रह गई हो, वादी को [दि]लवाई जावें।

वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये तलबी [जा]री तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर वकील श्री सुरेश कुमार सैनी उपस्थित न्यायालय हो अपना [व]कालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर इकबालिया जवाब दावा पेश किया [ग]या। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर वकील श्री विधाधर सिह जाखड द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। [प्र]तिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने के फलस्वरूप [उन]के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अलम में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर जबवा दावा पेश किया कि वाद–पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का [स्थि]त होना स्वीकार है। लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 944 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा [नम्ब]र 20 रकबा 0.45 हैक्टर जो ग्राम जाखल की सरदह में है, खातेदारी की भूमि को दर्ज नहीं किया है, इन [खस]रा नम्बर को छुपाया है, विभाजन सारे खसरा नम्बर का ही किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

एस.डी.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

दी–पत्र की धारा 2 गलत होने से अस्वीकार है वंशावली गलत दर्ज की है, सही वंशावली निम्न प्रकार से है: –

अन्ने सिंह

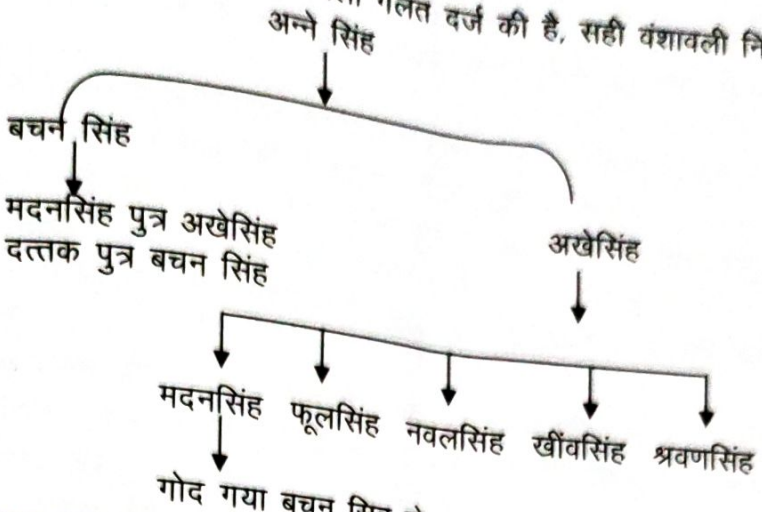

बचन सिंह

मदनसिंह पुत्र अखेसिंह
दत्तक पुत्र बचन सिंह

अखेसिंह

मदनसिंह फूलसिंह नवलसिंह खींवसिंह श्रवणसिंह

गोद गया बचन सिह के

उक्त वंशावली मुकदमा नम्बर 92/75 में खुद वादीगण की दी हुई है, वादीगण ने मदनसिंह को बचन ह का पुत्र गलत दर्ज किया है मदनसिंह अखेसिंह का पुत्र है और बचन सिंह ने गोद लिया था।

जहां तक श्रवणसिंह का मदनसिंह के गोद जाने के तथ्य वादीगण ने दर्ज किया है, एकदम झूंठा व नावटी है। श्रवणसिंह तो मदनसिंह का सगा छोटा भाई है, भाई, पुत्र कानून व रीति के अनुसार बन ही नहीं कता है।

यह सही है कि श्रवणसिंह मदनसिंह के साथ रहता था, इस तथ्य को भी वादीगण ने मुकदमा नम्बर /75 में दर्ज किया है। प्रथम तो मदनसिंह श्रवणसिंह को पुत्र बना ही नही सकता था, क्योंकि वह तो सगा भाई द्वितीय गोद लेने–देने की कभी कोई रश्म अदा नही की गई, दोनो भाई जहां तक श्रवणसिंस को पृथ्वीसिंह हने का प्रश्न है, उसने अपना नाम सुन्दर व महिमामन्डित करने के लिये लिख लिया होगा, उसे श्रवणसिंह ही हते है और वही असली उसका नाम है।

मुकदमा नम्बर 144/10 एसडीओ नवलगढ़ में पेश करके बिना क्षैत्राधिकार के श्रवणसिंह की जगह थ्वीराजसिंह दर्ज करवाया है। मुकदमा नम्बर 144/10 निर्णय दिनांक 7.10.2010 एबीनिसियों बोईड है, बिना त्राधिकार के है, जिसे कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर चुनौति दी जा सकती है। प्रथम तो एस.डी.ओ. ो किसी के नाम बदलने व उसकी घोषणा का अधिकार नही है। उक्त मामला सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार ा है, द्वितीय राजस्व न्यायालय किसी को दत्तक पुत्र घोषित नही कर सकता है इस फैसले में मदनसिंह की भूमि ा खातेदार पृथ्वीसिंह को उसका पुत्र मानकर खातेदारी दी है, जबकि वह पुत्र नही सगा भाई मदनसिंह है, इस कार उक्त निर्णय विधि विरूद्ध है, जिससे किसी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है।

वाद–पत्र की धारा 3 जिस प्रकार से दर्ज है, स्वीकार नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण 50 साल से जिस कार से वर्तमान में खाते बन रहे है, उसी प्रकार से अलग–अलग सीमा बनाकर अलग–अलग खातेदारी की भूमि करते रहे है। दिनांक 29.03.80 को पक्षकारो में निर्णय हुआ, उसके अनुसार खाते अलग–अलग करने का र्थना–पत्र दिया गया तब मौका देखा गया था और मौके व न्यायालय के निर्णय के अनुसार खाते अलग–अलग र्ज कर दिये थे, जोसही किये थे। इस प्रकार वादीगण का वाद पूर्व के निर्णयों के विरूद्ध है, जो निरस्त होने लायक है।

मुकदमा नम्बर 92/75 के निर्णय को छुपाकर वादी श्रवणसिंह ने मुकदमा नम्बर 144/10 पेश करके ने–बाला दिनांक 07.10.2010 के निर्णय करवाया है, उसके अनुसार अलग भूमि का खातेदार प्रकार घोषित करवाया है। इस कारण उक्त वाद नहीं चल सकता है ... वाद पेश किया है।

श्रवणसिंह वादी ने मुकदमा नम्बर 144/10 की घोषणा के विरूद्ध ...त वाद पेश किया है।

एस.डी.ओ. के पूर्व निर्णय के अनुसार दिनांक 29.03.80 को विभाजन मौके पर कब्जे के अनुसार कर दिया, मे खसरा नम्बर 869 पर वादी नम्बर 2 श्रवणसिंह उर्फ पृथ्वीराजसिंह के कब्जे की मानी है व मुकदमा नम्बर /10 में भी इसी भूमि को उसके कब्जे व हिस्से की मानी है। खसरा नम्बर 877 व 878 उत्तरदाता के पूर्वज

5

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

फूलसिंह के कब्जे की मानी है खसरा नम्बर 868 खींवसिंह के कब्जे की मानी है, खसरा नम्बर 876 व 879 नवलसिंह वादी नम्बर 1 के कब्जे की मानी है, इसी प्रकार कब्जा काश्त है व 50 साल से रहा है, अलग–अलग सीमाये है।

वदीगण ने पूर्व निर्णय, विभाजन के विपरीत आधारहीन, झूंठा वाद पेश किया है, जो निरस्त होने लायक है व रेसज्यूडीकेटा के अनुसार वाद चलने लायक नहीं है, खारीज किये जाने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 4 व उप धारा क,ख,ग व घ गलत होने से अस्वीकार है। विभाजन पूर्ण निर्णय, कब्जे व रेकार्ड के विरूद्ध बताया है। वादीगा का वाद हर्जा खर्चा सहित खारीज होने लायक है।

वादी–पत्र की धारा 5 गलत होने से अस्वीकार है। इस धारा के तमाम तथ्य झूंठे बनावटी है, विस्तार से जबाब ऊपर दिया जा चुका है।

वाद–पत्र की धारा 6 गलत होने से अस्वीकार है। अदालत हाजा को वाद सुनने का श्रवणाधिकारी नहीं है। विभाजन व घोषणा के निर्णय पूर्व में ही हो चुके है, दुबारा वाद पेश नही किया जा सकता है। अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. निरस्त होने लायक है।

वाद–पत्र की धारा 7 गलत होने से अस्वीकार है उक्त वाद अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार का नहीं है। वाद–पत्र की धारा 8 गलत होने से अस्वीकार है। गलत वाद पेश करके गलत पक्षकार बनाये है। वाद–पत्र की धारा 9, 10 गलत होने से अस्वीकार है।

वाद–पत्र की धारा 11 गलत होने से अस्वीकार है। विभाजन का निर्णय एस.डी.ओ. नवलगढ़ ने सन् 1976 में कर दिया व विधिक विभाजन होकर खाते 1980 में अलग–अलग हो गये। इस प्रकार दावा विधि विरूद्ध व बाहर मियाद पेश किया है, जो खारीज होने लायक है।

वाद–पत्र की धारा 12 व उसकी उप धारा क,ख,ग,घ,ड व च गलत होने से अस्वीकार है वादीगण किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दावा भारी हर्जे खर्चे सहित खारीज किया जावे।

अतिरिक्त उत्तर

मुकदमा नम्बर 92/75 जो अन्तर्गत धारा 88 व 53 पक्षकारो ने किया था, उसका निर्णय दिनांक 13.7.76 को होकर सन् 1980 में कब्जे व विभाजन के निर्णय के अनुसार अलग–अलग खाते कर दिये, उसी प्रकार सभी सह–हिस्सेदार एक्ट अपोन कर रहे है, इस कारण उक्त वाद दुबारा नही किया जा सकता है, रेसज्यूडीकेटा के कारण प्रथम दृष्टया ही खारीज होने लायक है।

मुकदमा नम्बर 144/10 पूर्व के तथ्यों व निर्णय को छुपाकर किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 7.10.10 को हुआ है, बिना क्षैत्राधिकार के है, उसमें भी इस प्रकार के रकबे कम ज्यादा का कोई ऐतराज नहीं उठाया है, वादी श्रवणसिंह को खसरा नम्बर 869 रकबा 6.50 हैक्टर का ही खातेदार घोषित किया है। इस कारण उस घोषणा के विरूद्ध भी उक्त वाद न तो चलने लायक है, ना ही न्यायालय के निर्णय के क्षैत्राधिकार में आता है इस प्रकार वाद खारीज होने लायक है।

उक्त वाद अदालत हाजा के श्रवणाधिकार का नहीं है, पूर्व के निर्णय व डिक्री के सिविल न्यायालय ही खारीज कर सकता है अदालत हाजा के श्रवणाधिकार का नही है।

उक्त वाद असामान्य समय की सीमा के बाहर पेश किया गया है इस कारण बाहर मियाद होने से दावा खारीज होने लायक है।

वादीगण ने पूर्व के निर्णय के तथ्यों को छुपाकर गलत ... किया है, जो भारी हर्जे खर्चे सहित खारीज किया जावे।

फुलसिंह की पांच पुत्रियों राजकंवर, राजेश्वरी, मीना कंवर, ... कंवर व बसन्त कंवर को आवश्यक पक्षकार होने पर भी पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण दावा खारीज होने लायक है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार है :–

1. तनकी नम्बर 1 :– आया वादीगण ग्राम बुगाला की भूमि खाता संख्या 215 की भूमि खसरा नम्बर 876/1.86, 879/5.62, 1144/0.32 किता 3 कुल रकबा 7.70 हैक्अर मे से 0.87 हैक्टर कम करके भूमि खाता संख्या 144 में वादी नम्बर 1 के हिस्से में 0.34 हैक्टर, भूमि खाता संख्या 385 में वादी नम्बर 2 के हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.टे.)
नवलगढ़

में 0.31 हेक्टर तथा खाता संख्या 31 में प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में 0.22 हैक्टर भूमि जोडकर रकबे की हिस्सेदारी बराबर कराये जाने के अधिकारी है।

—भा.स.वादीगण

2. तनकी नम्बर 2 :— आया प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखन्लदाजी न तो स्वयं करे तथा न अपने आदमियों से करवाये।

—भा.स.वादी

3. तनकी नम्बर 3 :— आया ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 944/0.77, 20/0.45 हैक्टर वाद पत्र में दर्ज नही किया है, इन खसरा नम्बरों को छुपाया गया है, विभाजन सारे खसरा नम्बरान का ही किया जा सकता है।

—भा.स.प्रतिवादी

4. तनकी नम्बर 4 :— आया मु.न. 144/2010 निर्णय दिनांक 07.10.10 के अनुसार वादी श्रवण सिंह को खसरा नम्बर 869 रकबा 6.50 हैक्अर का खातेदारी काश्तकार घोषित किया गया है। इस कारण उस घोषणा के विरूद्ध उक्त वाद चलने योग्य नही वाद वादी खारिज किया जावे।

—भा.स.प्रतिवादी

5. तनकी नम्बर 5 :— आया फूलसिंह की पांच पुत्रियों राजकंवर, राजेश्वरी, मीनाकंवर, पूनमकंवर व बसन्तकंवर को आवश्यक पक्षकार होने पर भी पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण वाद खारिज होने लायक है।

—भा.स.प्रतिवादी

शहादत प्रतिवादी ली गई। शहादत वादी में वादी पृथ्वीराजसिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल ने उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किया गया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात् नकल मिलान क्षैत्रफल वर्ष 1985 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2030 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2054 से 2057 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2065 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066 प्रदर्श–11, नकल नक्शा ट्रेश प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 प्रदर्श–13 आदि प्रदर्शित कराये।

तत्पश्चात् वादीगण एंव प्रतिवादीगणों द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर एक लिखित राजीनामा पेश किया। राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया एव समझाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही व सत्य होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

पक्षकारान राजीनाम इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला की सरहद में कुल रकबा 27.29 हैक्टर है जिसमें से रास्ते के लिये 0.32 हैक्टर भूमि प्रत्येक का हिस्सा 6.735 हैक्टर है भूमि खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 879/2 रकबा 5.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 876/3 रकबा 1.305 हैक्टर कुल रकब 6.735 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 5 भंवर कंवर व प्रतिवादी संख्या 3 अजीत सिंह क हिस्से में आया है जो संलग्न नक्शे में नम्बर 1 से दर्शाया गया है व खसरा नम्बर 878 रकबा 4.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 877/1 रकबा 1.855 हैक्टर, खसरा नम्बर 879/1 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 6.735 हैक्टर वादी नम्बर 1 स्व. चोलासिंह उर्फ नवलसिंह के वारिसान सिरे कंवर पत्नी स्व.प्र[illegible] सिंह पुत्र स्व.प्रभुसिंह, संजू पुत्री प्रभुसिंह, निरज कंवर पत्नी स्व. लक्ष्मण सिंह, रू[illegible] सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह नाबालिक जरिये संरक्षिका कुदरती माता निरज कंवर जो प्रार्थी वादी नम्बर 1 के वारिस 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 है के हिस्से में आया है जो संलग्न नक्शें में नम्बर 2 से दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 868 रकबा 6.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 877/2 रकबा 0.145 हैक्टर कुल रकबा 6.735 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 स्व. खींव सिंह पुत्र अखेसिंह के वारिसान दयाल सिंह पुत्र खींव सिह, दीप कंवर पुत्री खींव सिह, सन्तोष कंवर पुत्र खींव सिंह है के हिस्से में आया है जो प्रतिवादी नम्बर 1/1, 1/2, 1/3 है जो संलग्न नक्शे में नम्बर 3 से दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 869/2 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

60

6.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 876/2 रकबा 0.455 हैक्टर कुल रकबा 6.735 हैक्टर वादी संख्या 2 पृथ्वीराजसिंह के हिस्से में आया है जो संलग्न नक्शे में 4 से दर्शाया गया है, राजीनाम के साथ संलग्न नजरी नक्शा राजीनामा का ही अभिन्न अंग है जिसे राजीनाम के साथ ही पढा जावे।

पक्षकारान क भूमि में आने—जाने के लिए रास्ते बाबत कुल 0.32 हैक्टर भूमि छोडी गई है जो भूमि खसरा नम्बर 869/1 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 876/1 रकबा 0.10 हैक्टर कुल 0.32 हैक्टर भूमि सभी पक्षकारान के हिस्से में से बराबर—बराबर कम की गई तथा उपरोक्त रास्ते का संलग्न नजरी नक्शें में सुर्खलाल रंग से दर्शाया गया है उपरोक्त रास्ते को भविष्य में कोई भी पक्षकार बन्द नहीं करेगा तथा ना ही उपरोक्त रास्ते पर कोई अतिक्रमण कर रास्ते को संकड़ा करेगा। ना ही किसी भी प्रकार का अवरोध कर सकेगा।

अतः हस्तगत प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा लोक अदालत की भावना से हो चुका है। राजीनामें के अनुसार वाद डिक्री किया जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद किया जाने की सहमति प्रदान की गई। राजीनामे में विभाजन की रिलीफ डिमाण्ड नही की गई है। वकील वादीगण ने भी विभाजन नही कर वादी का वादी निस्तारण किये जाना जाहिर किया। अतः वाद को मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा व नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग होगा

:: आदेश ::

वाद वादी मुताबिक राजीनामा व संलग्न नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक राजीनामा व नक्शे के अनुरूप राजस्व रिकार्ड कायम कर अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। राजीनामा व सलंग्न नक्शा (ब्ल्यू प्रिन्ट) आदेश डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट—ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

एस.डी.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती
एवं विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 2021/174 **(न्योल सिंह बनाम खींव सिंह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **29.03.2022** निर्णय अनुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व संलग्न नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक राजीनामा व नक्शे के अनुरूप राजस्व रिकार्ड कायम कर अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। राजीनामा व संलग्न नक्शा (ब्ल्यू प्रिन्ट) आदेश डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

जिन............–............. मुबलिग............–.............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.03.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.इ.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	08.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
		मुतफरिक मिजान	0.00
मुतफरिक मिजान	10.00		0.00
कुल	20.00		

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नकल वास्ते नक्शा ।।

ग्राम — बुगाला, त. नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज०

न्यायालय :— ए.सी.ई.एम साहब
नवलगढ़

न्योलसिंह बनाम खीवसिंह वगैरा
दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती वास्ते राजीनामा।

कुल रकबा 27.26 है.
रास्ता 0.32 है.
प्रत्येक का हिस्सा 6.735 है.

रास्ता खसरा न. 869/1
रकबा 0.22 है.
876 /1 रकबा 0.10 है.
कुल 0.32 है.

1. अजीत सिंह , भंवर कँवर
1141 — 0.32 है.
879/2 — 5.11 है
876/3 — 1.305 है.
कुल 6.735 है.

2. न्योला सिंह
878 — 4.47 है.
877/1 — 1.855 है.
879/1 — 0.41 है.
कुल 6.735 है.

3. खींव सिंह
868 — 6.59 है.
877/2 — 0.145
कुल 6.735 है.

4. पृथ्वीराज सिंह
869/2 — 6.28 है
876/2 — 0.455 है
कुल 6.735 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर प्रार्थीगण